

22 ⁷/₁₉

संविधान संशोधन अधिनियम


पञ्जाबली पैसा हुई। तकील प्राचीं उर नही
हुए। अगरीगिरि के सम्मन पुर्ण सेलसि
हो चुके लेकिन उनकी ओर से कोई
उर नही हुआ ईतक विस्वह एक पहीच कार्यपही
अज्ञात से लाई जाती हैं। प्राचीगिरि की ओर
से प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्वीकार किया जाता
है। निर्णय पृथक से लिया जाकर प्राचीन
सिक्का लिया गया। राजस्व क्रम अलौड
के व्य. न. ०। रणका 120 बीघा 12 सिक्का



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

शहर सत्या 13। रजा 40 वीका 19 वीका
पुन रजा 16। वीका 11 वीका सुनिष्ठा
उत्तर पक्षकारी की उपस्थिति में पुनः
सीमाक्षेत्र किया जावे। लक्ष्मीनगर वार्ड
की की आदेश दिया जाता है। वक्त पक्ष
उड़ी सुनिष्ठा पुनः इसका उपस्थित
रखे ताकि में के पर शामिल बनी रहे।
आदेश की पालना हेतु लक्ष्मीनगर वार्ड
की लक्ष्मीनगर जारी है। पश्चात् में सुनिष्ठा
द्वारा लक्ष्मीनगर से काम की जाकर दायित्व
दफ्तार है।


न्यायिक अधिकारी, धौलपुर